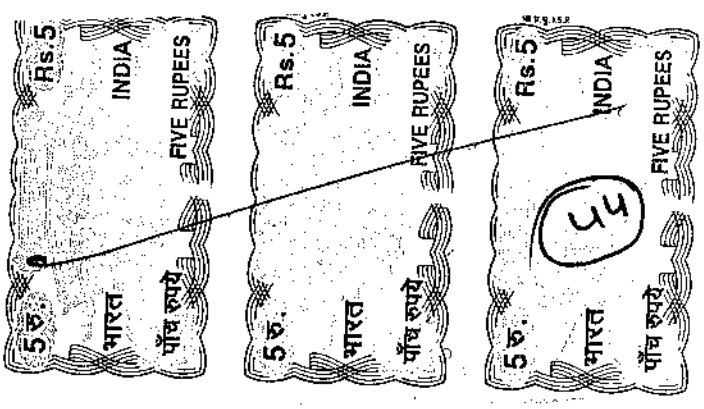

15/

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12010 निगरानी R-1671-II/2010

१- मु० जैराजुआ वेवा रामभुवन उम्र ८० वर्ष,
२- रामबहादुर उम्र ५५ वर्ष,
३- रामयश उम्र ५३ वर्ष,
४- हिन्कलाल उम्र ५० वर्ष,
५- विष्णु प्रसाद उम्र ४२ वर्ष,
६- सुरेश प्रसाद उम्र ३८ वर्ष,
७- श्यामवती पुत्री रामभुवन पत्नी स्व० शेषमणी,
८- सूर्यवती पुत्री रामभुवन पत्नी रामभिलाष,
९- मानवती पुत्री रामभुवन पत्नी लखनलाल,
१०- अन्नपूर्णा पुत्री संतोष कुमार,
११- मंजू पुत्री संतोष कुमार

सभी के पिता स्व रामभुवन नि० ग्राम व धुरेहटा, तहs० मउगंज-रीवां

------ प्रार्थीगण

बनाम

रामविशाल तनय शोभनाथ उम्र ७८ वर्ष निवासी ग्राम धुरेहटा, तहसील मउगंज, जिला रीवां ।

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवां संभाग, दिनांक २६-११-१०, अन्तर्गत धारा ५० भू०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९, प्र०क्र० ३४१/०७-०८ निगरानी

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1671– दो/10 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
24–5–16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी द्वारा यह प्रकरण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 341/07–08/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26.11.10 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदिका जैरजुआ पत्नी रामभुवन आदि ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपर आयुक्त रीवा को अवगत कराया गया कि राजस्व मण्डल में पुनर्विलोकन कमंक 151–दो/03 पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है तथा अनावेदक भी उक्त प्रकरण में उपस्थित हो चुके हैं। इस तथ्य की पुष्टि में आवेदक कमांक–5 ने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था लेकिन बटवारे की कार्यवाही जारी रखी गई। लेकिन राजस्व मण्डल में आवेदिका द्वारा पुनर्विलकोन का प्रकरण दायर किया था वह स्वीकार किया गया, और मूल प्रकरण निगरानी कमांक 124–तीन/96 पुनः	

सुनवाई हेतु नियत किया गया है जो वर्तमान में प्रचनशील है।

3-आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित होकर बताया गया है कि आवेदिका आदि ने अपर आयुक्त रीवा के यहां मय शपथ पत्र के प्रकरण चलने की जानकारी दी थी उसके पश्चात भी अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण में आदेश पारित किया गया तथा अनावेदक को यह जानकारी होते हुये भी कि राजस्व मण्डल में प्रकरण प्रचलित है उसके पश्चात भी कपट पूर्ण रूप से असत्य जानकारी देना न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। और उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण लंबित होना न मानने में भूल की है। अंत में उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

4- आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेखों का वारीकी से अध्ययन किया।

5- प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह देखना है कि अपर आयुक्त रीवा ने जो आदेश पारित किया है उस समय राजस्व मण्डल का प्रकरण प्रचलनशील था या नहीं यह मुददा आवेदक अधिवक्ता ने मुख्यरूप से उठाया गया है इसी बिन्दु पर प्रकरण का निराकरण करना न्यायोचित होगा। अपर आयुक्त रीवा द्वारा दिनांक 26.11.10 की आदेश पत्रिका में यह उल्लेख किया गया है।

" अपीलार्थी निगरानी कर्ता अधिवक्ता उप0। उत्तरवादी अधिवक्ता उप0। निगरानीकर्ता केआवेदन धारा 32 भू-राजस्व संहिता की प्रति गैरनिगरानीकर्ता को दी । गैरनिगरानीकर्ता का तर्क है कि राजस्व मण्डल में कोई रिव्यु लंबित नहीं अधीनस्थ न्यायालय ने भी ऐसी आपत्ति नहीं की। निगरानीकर्ता ने रिव्यु लंबित होने के प्रमाण पेश नहीं किये अतएव आवेदन निरस्त किया जाता है। अंतिम तर्क हेतु,, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आलेख से रिव्यु प्रकरण बुलवाया गया जो तत्समय प्रचलित था और बाद में दिनांक 3.9.15 को निरीकृत हो चुका है। अतएव अधीनस्थ अपर आयुक्त का यह आदेश रिव्यु प्रकरण लंबित होने का प्रमाण पेश न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है। त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त किया जाता है। चूंकि रिव्यु प्रकरण निराकृत हो चुका है । अतएव निराकृत प्रकरण के आलोक में अपर आयुक्त लंबित प्रकरण का गुणदोषों के आधार पर निराकरण करना सुनिश्चत करें।

सदस्य